भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2081

15 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष चिकित्सा पद्धति का वैश्वीकरण

2081. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
श्री संजय भाटिया:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा पद्धति के वैश्वीकरण के लिए क्या कदम उठाया गया/उठाया जाना प्रस्तावित है;
(ख) सरकार द्वारा आयुष औषधियों के गुणात्मक उत्पादन और वितरण के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा पद्धति में गुणवत्ता अनुसंधान को व्यापक और गहरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं;
(घ) सरकार द्वारा आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने के लिए की गई/उठाई जाने वाली पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) आयुष चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में की गई/की जाने वाली डिजिटल पहल का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोई नया राष्ट्रीय आयुष संस्थान स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): आयुष मंत्रालय ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों के वैश्विक संवर्धन और मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए, आयुष के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना विकसित की। इस योजना के तहत मंत्रालय आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए भारतीय आयुष दवा निर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुष के हितधारकों की बातचीत और बाजार विकास की सुविधा प्रदान करता है, विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के माध्यम से शिक्षाविदों और अनुसंधान को बढ़ावा देता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा की आयुष पद्धतियों के बारे में जागरूकता और रुचि को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला/संगोष्ठियां आयोजित करता है।

आयुष मंत्रालय ने आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषएक्सिल) की स्थापना को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाया है।

आयुष मंत्रालय मंचों अर्थात शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), बे ऑफ बंगाल इनीसिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनोमिक को ऑपरेसन (बिम्स्टेक), जी20 आदि के साथ पारंपरिक चिकित्सा पर बहुपक्षीय सहयोग में शामिल है। मंत्रालय द्वारा की गई पहल से आयुर्वेद पर भारत-यूरोपीय संघ तकनीकी कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी) और एससीओ के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर एक विशेषज्ञ कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की स्थापना हुई है। मंत्रालय ने 2023 में एससीओ के तहत बी2बी बैठक और आसियान देशों के सम्मेलन का आयोजन किया। मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न व्यापार समझौतों और द्विपक्षीय व्यापार बैठकों में भी भाग लेता है। मंत्रालय ने विश्व स्तर पर भारतीय पारंपरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर करके डब्ल्यूएचओ के साथ भी सहयोग किया है।

आयुष मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय आयुष अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत भारत में मान्यता प्राप्त आयुष संस्थानों में आयुष पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए विदेशी नागरिकों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
भारत सरकार ने अध्याय 11ए के तहत, आयुष पद्धति/ भारतीय चिकित्सा पद्धति के तहत उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशियों के लिए एक नया वीज़ा अर्थात आयुष (एवाई) वीजा प्रणाली शुरू किया और ऐसे विदेशियों को ई-आयुष वीजा और ई-आयुष परिचर वीजा भी प्रदान किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए, आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित पारंपरिक औषधियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित समझौता ज्ञापन (एमओयू) इस प्रकार हैं,

- दुनिया भर के विभिन्न देशों के साथ 24 देश-से-देश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- सहयोगी अनुसंधान/अकादमिक सहयोग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ 46 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- विदेशी राष्ट्रों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

(ख): औषधियों के गुणात्मक उत्पादन और वितरण के लिए, आयुष मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

i. भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) आयुष मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसे एएसयू एंड एच औषधियों और उपचार के लिए भेषजसंहिता मानकों को विकसित करने के लिए अधिदेश है। इसके अलावा, यह एएसयू एंड एच औषधियों और उपचार के परीक्षण के लिए केंद्रीय अपीलीय प्रयोगशाला है।

ii. निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे विनिर्माण इकाइयों और औषधियों के लाइसेंस के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करें, जिसमें सुरक्षा और प्रभावशीलता का प्रमाण, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची न और अनुसूची ड-झ के अनुसार उत्तम विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) का अनुपालन और संबंधित भेषजसंहिता में दी गई औषधियों के गुणवत्ता मानक शामिल हैं।

iii. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 160 क से ञ आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों की पहचान, शुद्धता और क्षमता के ऐसे परीक्षण करने के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के अनुमोदन के लिए नियामक दिशानिर्देश प्रदान करता है, जो इन नियमों के प्रावधानों के तहत आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंसधारी की ओर से आवश्यक हों।

iv. वर्ष 2021 में, आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) को कार्यान्वित किया है। पांच वर्षों के लिए, इस योजना के लिए कुल वित्तीय आवंटन 122.00 करोड़ रुपए है। एओजीयूएसवाई योजना के विस्तृत घटक https://ayush.gov.in/images/schemes/aoushdhi.pdf पर देखे जा सकते हैं।

(ग): भारत सरकार, आयुष मंत्रालय ने वैज्ञानिक तर्ज पर अनुसंधान के आयोजन, समन्वय, तैयारी, विकास और संवर्धन के लिए प्रत्येक आयुष पद्धति के लिए संबंधित अनुसंधान परिषदों को सुदृढ़ किया है। अनुसंधान परिषदों ने राष्ट्रीय ख्याति के संस्थानों जैसे एम्स, बीएचयू, आईआईटी, आईसीएमआर, सीएसआईआर आदि के साथ सहयोग किया है।

वैज्ञानिक निकायों के बीच आयुष अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य विभाग (डीओसी) और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) के सचिवों के साथ सचिव, आयुष की अध्यक्षता में एक समिति के गठन के साथ राष्ट्रीय आयुष अनुसंधान संघ (एनएआरसी) की स्थापना की गई है।

एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान और क्षमता निर्माण पर सहयोग और सहयोगिता को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए 11-05-2023 को आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। मंत्रालय ने आयुष पद्धतियों पर साक्ष्य-आधारित अनुसंधान डेटा के प्रसार के लिए आयुष अनुसंधान पोर्टल भी विकसित किया है।

(घ): आयुष मंत्रालय, अपने सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरोग्य मेलों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों के समर्थन और आयोजन के माध्यम से आयुर्वेद पद्धति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।

आईईसी सामग्री का प्रसार परिधीय संस्थानों के माध्यम से विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) अनुसंधान कार्यक्रम, जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम (टीएचसीआरपी) सहित

आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आईईसी सामग्री व्यापक सार्वजनिक पहुंच के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जाती है।

आयुष मंत्रालय धनवंतरी जयंती (धनतेरस) के अवसर पर हर साल 'आयुर्वेद दिवस' मनाता है। मंत्रालय आयुर्वेद के प्रचार, प्रसार और लोकप्रियता के लिए पूरे देश और विदेशों में (भारतीय मिशनों के माध्यम से) आयुर्वेद के हितधारकों और शुभचिंतकों को शामिल करने वाली विभिन्न गतिविधियां आयोजित करता है।

(ङ): आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने 2018 में आयुष ग्रिड (एजी), एक आयुष-केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य मंच (डीएचपी) को शुरू किया। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अनुरूप कार्य करता है। आयुष डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (एडीपीआई) के संदर्भ में इस प्रयास के परिणाम अब तक निम्नानुसार हैं:

1. **स्वास्थ्य सेवाएं:** आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए), युक्त आयुष अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (एएचएमआईएस)।
2. **शिक्षा:** भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच), आयुष नेक्स्ट पोर्टल, आयुसॉफ्ट के लिए शिक्षा अधिगम प्रबंधन प्रणाली (ईएलएमएस)
3. **आयुष अनुसंधान:** राष्ट्रीय आयुष रुग्णता और मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक (नमस्ते) पोर्टल, आयुष अनुसंधान पोर्टल, एसीसीआर/आयुर्सेल पोर्टल का कार्यान्वयन और रखरखाव
4. **केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम:** एनजीओ-पोर्टल
5. **नागरिक-केंद्रित सेवाएं:** आयुष मंत्रालय की वेबसाइट, पीएम-गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान के साथ एकीकृत आयुष जीआईएस सिस्टम, वाई-ब्रेक ऐप, डब्ल्यूएचओ-वाई-योग ऐप,
6. **ड्रग लाइसेंसिंग पोर्टल:** ई-औषधि पोर्टल
7. **मीडिया आउटरीच:** कैम्पेन पोर्टल, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ाव।

(च): पिछले पांच वर्षों के दौरान नई संस्थागत स्थिति इस प्रकार है-

1. दिनांक 15.10.2020 को तीन संस्थानों अर्थात आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद कॉलेज और भारतीय आयुर्वेद फार्मास्युटिकल विज्ञान संस्थान का विलय करके राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (एनआईएन) के रूप में आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया ।
2. अगस्त 2021 में आयुर्वेद को शामिल करके पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान (एनईआईएफएम)-पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश) को उन्नत करके पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएएफएमआर) को विकसित किया गया था।
3. राष्ट्रीय सोवा रिग्पा अनुसंधान संस्थान को नवंबर 2019 में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान में उन्नत किया गया था।
4. 11 दिसंबर 2022 को एआईआईए, नई दिल्ली के एक अनुषंगी संस्थान के रूप में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), गोवा, एनआईयूएम, बेंगलुरु के एक अनुषंगी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम), गाजियाबाद और एनआईएच, कोलकाता के एक अनुषंगी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा, सरकार ने पंचकूला में एनआईए, जयपुर का एक अनुषंगी संस्थान स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है।

*****